न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी– **विकास मोहन भाटी, R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: **166/2010** दायर दिनाँक **27.12.2010**

वादी		**प्रतिवादीगण**
1. भगवानाराम पुत्र अमराराम जाति माली निवासी कुमाणीयां बास डीडवाना जिला नागौर	**बनाम्**	1. कन्हैयालाल पुत्र अमरा जाति माली निवासी कुमाणीया बास डीडवाना जिला नागौर 2. तहसीलदार डीडवाना 3. उप पंजीयक डीडवाना

दावा बाबत्
घोषणा खातेदारी, रेकर्ड दुरूस्ती, बंटवाड़ा व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा– 88, 53, 188 R.T.Act.

उपस्थितः–

1. श्री महावीर प्रसाद चतुर्वेदी वकील वादी।
2. श्री अजीतसिंह राठौड वकील प्रतिवादी सं. 1।

–:: निर्णय ::–

दिनाँक **23.09.2025**

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि यह है कि वादी भगवानाराम की तरफ से वाके सरहद पठानों का बाढ़ पटवार हल्का सिंघाणा के खेत खसरा संख्या 112 रकबा 16 बीघा 12 बिस्वा में से 1/2 की खातेदारी वादी के नाम घोषणा खातेदारी बन्टवारा व स्थायी निषेधाज्ञा बाबत हस्तगत वाद दिनांक 27.12.2010 को न्यायालय में पेश किया गया था। प्रतिवादीपक्ष के अधिवक्ता ने दिनांक 28.04.2022 को आवेदन पेश कर निवेदन किया कि वादी की मृत्यु हो चुकी है व उसके कायम मुकाम रेकर्ड पर लेने का आवेदन पेश नहीं किया गया है। वादी के कायम मुकाम रेकर्ड पर नहीं आने के कारण वाद एबेट हो चुका है जिसे खारीज फरमाया जावे।

वादी द्वारा दिनांक 28.04.2022 से दिनांक 23.09.2025 तक उक्त आवेदन का जवाब पेश नहीं किया गया।

दिनांक 23.09.2025 को आदेश 22 नियम 03 सीपीसी का प्रार्थना पत्र पेश कर वादी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने का निवेदन किया गया। उक्त आवेदन में वादीगण द्वारा दिनांक 18.09.2025 को अधिवक्ता को वादी की फौतगी के बारे में जानकारी देना अंकित किया है। जबकि अधिवक्ता वादी को वादी की मृत्यु की सूचना दिनांक 28.04.2022 को हो चुकी थी। जिसकी जानकारी रेकर्ड पर उपलब्ध है।

परिसीमा अधिनियम के अन्तर्गत मृत पक्षकार के वा[illegible] रेकर्ड पर लिये जाने की समय सीमा 90 दिवस है। निर्धारित समयावधि में [illegible] लेने का प्रार्थना पत्र पेश नहीं किया गया है। मृत्यु दिनांक 15.2.2022 के 3 वर्ष 7 माह बाद आ[illegible] पेश किया है जो स्पष्टतया म्याद बाहर है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:19 IST
Reason: SelfAttested

उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

प्रार्थना पत्र के साथ धारा 5 लिमिटेशन एक्ट के तहत आवेदन पेश किया है जिसमें अनपढ होने का बिन्दु बताया गया है जो तर्क संगत नहीं है। मृत वादी का मृत्यु प्रमाण पत्र दिनांक 17.02.2022 से आवेदन कर्ता द्वारा ही बनाया गया है। मृत्यु प्रमाण पत्र बनाने की कार्यवाही उनके द्वारा सम्पादित की गई है जो यह पुस्ट करती है कि उनको सम्पर्ण कानूनी कार्यवाही की जानकारी रही है। वादी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की कार्यवाही समय सीमा में उनके द्वारा ही की जानी थी। 3 वर्ष 7 माह के लम्बे समय के उपरान्त बिना किसी युक्तियुक्त कारण के वादी के कायम मुकाम को रेकर्ड पर लेने की विधि इजाजत नहीं देती है। देरी माफी का आवेदन में देरी होने की स्थिति सपष्ट नहीं कर पाए है। धारा 5 में वर्णित कारण आधारहीन है जो स्वीकार नहीं किए जा सकते है। वादी के कायम मुकाम समय सीमा में रेकर्ड पर नहीं आने के कारण वाद एबेट हो चुका है जो खारीज योग्य है।

वाद एबेट होने के कारण प्रार्थना पत्र आदेश 22 नियम 4 सिविल प्रकिया संहिता पर निर्णय करने की कोई आवश्यकता नहीं रह जाती है। उपरोक्तानुसार वादी का वाद खारीज किया जाता है।

–:: आदेश ::–

निर्धारित समयावधि में मृत वादी भगवानाराम के विधिक वारिसान रेकर्ड पर नहीं आने के कारण हस्तगत वाद जरिये Abatement खारिज किया जाता है।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

निर्णय आज दिनाँक 23.09.2025 को सरे इजलास में सुनाया गया।

(विकास मोहन भाटी R.A.S.)
उपखण्ड अधिकारी
डीडवाना

Signature Not Verified

Digitally signed by Vikas Mohan Bhati
Date: 2026.04.09 17:23:19 IST
Reason: SelfAttested